न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा
निर्मला बनाम कमला वगैराह
GCMS No- 2019/00215
प्रकरण संख्या 58/2019

न्यायालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या– 58/2019
GCMS NO- 2019/00215

1. श्रीमति निर्मला देवी पत्नि नरेन्द्र कुमार जी जाति टेलर आयु वयस्क निवासी बिनौता हा०मु० निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०।

–प्रार्थीया

बनाम

1. श्रीमति कमला पत्नि चान्दमल जी जाति खटीक आयु वयस्क निवासी मिण्डाना तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
2. शंकरलाल पिता भेरुलाल जी जाति खटीक आयु वयस्क निवासी मिण्डाना तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
3. श्रीमति देऊ पत्नि बिहारीलालजी जाति सुथार आयु वयस्क निवासी बिनौता तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

–अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित :–	1–	श्री कुशलराज डूंगरवाल	–	अधिवक्ता प्रार्थिया
	2–	श्री प्रवीण कुमार	–	अधिवक्ता अप्रार्थिया क्रमांक 1 से 3
	3–	पेरोकार सरकार	–	स्वयं उपस्थित

:: निर्णय :: दिनांक 20.06.2023

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थिया के खातेदारी कब्जे काश्त की आराजियात मौजा मिण्डाना पटवार हल्का मिण्डाना तहसील निम्बाहेडा के नये खाता संख्या 145 के आराजी नम्बर 65 रकबा 0.1300 हैक्टेयर के पुराने आरजी नम्बर 51 मी रकबा 10 बिस्वा स्थित है। इसी प्रकार मौजा मिण्डाना पटवार हल्का मिण्डाना तहसील निम्बाहेडा के नये खाता संख्या 144 के आराजी नम्बर 53 रकबा 1.4100 हैक्टेयर के पुराने आराजी नम्बर 40 मीन रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा स्थित है। इसी प्रकार वाके मौजा मिण्डाना पटवार हल्का मिण्डाना तहसील निम्बाहेडा [illegible] आराजी नं0 53/1050 रकबा 1.6200 हैक्टेयर के पुराने आराजी [illegible] मीन रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा स्थित हैं।इसी प्रकार [illegible] आराजियात जो वाके मौजा मिण्डाना पटवार हल्का मिण्डाना [illegible] निम्बाहेडा के नये खाता संख्या 291 के आराजी नं0 66 रकबा 0.4400 हैक्टेयर के पुराने आराजी नं0 96[illegible] रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा स्थित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:08:45 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थिया की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात जिसके आराजी नं0 65 रकबा 0.1300 हैक्टेयर के पुराने आराजी नं0 51मी रकबा 10 बिस्वा जो पुराने जमाबंदी

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Scanned with OKEN Scanner

खातेदारी रेकार्ड में सही रूप से दर्ज थी तथा वर्तमान सेटलमेन्ट मे राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से उक्त जमाबंदी खातेदारी रेकार्ड में विपक्षी नं0 3 का नाम दर्ज कर दिया गया जबकि विपक्षी नं0 3 के हक हिस्से की आराजी को प्रार्थीया ने पंजीकृत विकय पत्र से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया जिसका इन्द्राज भी जमाबंदी में दर्ज किया जा चुका है किन्तु वर्तमान सेटलमेन्ट में राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से विपक्षी नं0 3 का नाम जमाबंदी रेकार्ड मे पुनः दर्ज कर दिया है उक्त नवीन जमाबंदी खातेदारी मे अंकन प्रार्थीया के पूर्व जमाबंदी रेकार्ड अनुसार व मौके पर कब्जे अनुसार नही किया है। इसलिए उक्त जमाबंदी राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीया के पुराने जमाबंदी राजस्व रेकार्ड अनुसार मौके पर काबिज अनुसार, तथा विपक्षी नं0 3 का नाम हटाया जाकर, कब्जे अनुसार नवीन जमाबंदी राजस्व रेकार्ड इन्द्राज दुरुस्ती किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं।

3. प्रार्थिया द्वारा शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात जिसके आराजी नं0 53 रकबा 1.4100 हैक्टेयर के पुराने आराजी नं0 40मीन रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा जो पुराने जमाबंदी राजस्व रेकार्ड मे सही रुप से दर्ज थी तथा वर्तमान सेटलमेन्ट मे राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से नवीन आराजी नं0 53 रकबा 1.4100 हे0 जो विपक्षी नं० 1 के खातेदारी व कब्जे काश्त की थी उक्त आराजी नं0 53 को प्रार्थीया के जमाबंदी राजस्व रेकार्ड में अंकन कर दिया तथा आराजी नं0 53/1050 रकबा 1.62 हैक्टेयर जो प्रार्थीया के कब्जे काश्त में चली आ रही थी उक्त आराजी नं0 53/1050 को विपक्षी न० 1 के नाम पर जमाबंदी राजस्व रेकार्ड में अंकन कर दिया. जबकि पुराने जमाबंदी राजस्व रेकार्ड अनुसार आराजी नं0 53/1050 रकबा 1.62 हेक्टैयर प्रार्थीया के कब्जे काश्त की है, तथा आराजी नम्बर 53 रकबा 1.4100 विपक्षी नं० 1 के कब्जे काश्त में चली आ रही हैं, उक्त नवीन जमाबंदी खातेदारी मे अंकन प्रार्थीया के पूर्व जमाबंदी राजस्व रेकार्ड अनुसार व मौके पर कब्जे अनुसार नही किया है इसलिए उक्त जमाबंदी राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीया के पुराने जमाबंदी राजस्व रेकार्ड अनुसार, मौके पर काबिज अनुसार, अंकन कर कब्जे अनुसार नवीन जमाबंदी राजस्व रेकार्ड व नवीन नक्शा ट्रेस में इन्द्राज दुरुस्ती किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं।

4. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, विपक्षीगणो को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया, विपक्षी संख्या 1 से 3 मय अधिवक्ता श्री प्रवीण कुमार,न्यायालय में उपस्थित हुए जिन्होने ईकबाली जवाब पेश किया गया। विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा बिन्दु संख्या 2 के क्रम में आराजी नं. 65 रकबा 0.13 है0 किस्म चाही 3 लगान 247 (जिसका साबिक आराजी नं. 51 रकबा दस बिस्वा किस्म धा. बी. लगान 0.35) वर्तमान राजस्व रेकार्ड में श्रीमती निर्मलादेवी पत्नि नरेन्द्र कुमार टेलर (दर्जी) एवं देउबाई पत्नि बिहारीलाल सुथार निवासी बिनोता रहन बदस्तुर के नाम दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक जमाबंदी संवत 2065–68 आराजी नं. 51 रकबा 9 बिस्वा किस्म धा.बी. लगान 0.31 श्री निर्मलादेवी पत्नि नरेन्द्र कुमार टेलर (दर्जी) सा. बिनोता एवं आराजी नं. 983/51 रकबा 1 बिस्वा किस्म धा. बी. लगान 0.04 श्री कमला देवी पत्नि चान्दमल खटीक सा. देह रहन बदस्तुर के नाम पर दर्ज रिकार्ड था जो कि लिपिकीय त्रुटी (संहवन से) आराजी नं. 65 रकबा 0.13 श्री निर्मला देवी पत्नि नरेन्द्र कुमार टेलर देउ पत्नि बिहारी लाल सुथार सा. बिनोता के नाम पर दर्ज हो गया जो वर्तमान [illegible] स्थिति होकर गलत दर्ज है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार आरा[illegible] रकबा 1.41 किस्म चाही 3 लगान 26.79 श्री निर्मलादेवी पत्नि नरेन्द्र कुमार [illegible] के नाम दर्ज है। इसी प्रकार आराजी नं. 53/1050 रकबा 1.62 [illegible] चाही 3 लगान 30.78 श्री कमला पत्नि चान्दमल खटीक सा. देह के नाम दर्ज है। इसी प्रकार आराजी नं. 66 रकबा 0.11 किस्म चाही 3 लगान 2.09 श्री शक[illegible] पिता भेरूलाल खटीक सा. देह के नाम दर्ज है जिसे मुताबिक संलग्न ना. सं. 665 एवं बटवाडा प्रति एवं मौका स्थिति (वर्तमान) अनुसार दर्ज किया जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है। तहसीलदार निम्बाहेडा ने निम्नानुसार संशोधन प्रस्तावित किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:08:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Scanned with OKEN Scanner

1. श्री निर्मला देवी पत्नी नरेन्द्र कुमार टेलर (टेलर) सा. बिनोता खातेदार रहन बदस्तुर

आराजी नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
53/1050 उत्तर	1.25	चाही 3	23.75
66 उत्तर	0.16	चाही 3	3.04
65 उत्तर	0.12	चाही 3	2.28
किता 3	कुल – 1.53	–	कुल– 29.07

2. श्री शंकरलाल पिता भेरूलाल खटीक सा. देह

आराजी नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
66 दक्षिण	0.26	चाही 3	4.94
53/1050 दक्षिण पूर्व	0.18	चाही 3	3.42
किता 2	कुल – 0.44	–	कुल – 8.36

3. श्री कमला पत्नि चांदमल खटीक सा. देह खातेदार रहन बदस्तुर

आराजी नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
53	1.41	चाही 3	26.79
53/1050 मध्य	0.08	चाही 3	1.52
66 मध्य	0.02	चाही 3	0.38
53/1050 पश्चिम	0.11	चाही 3	2.09
65 दक्षिण	0.01	चाही 3	0.19
किता 5	कुल – 1.63		कुल – 30.97

5.उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

> ***136. Correction of errors. - The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:***
>
> ***Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.***

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Runadia
Date: 2024.01.06 18:08:45 IST
Reason: SelfAttested

6. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम [illegible] की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान [illegible] की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड [illegible] त्रुटियों का संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने [illegible] में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज [illegible] राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Scanned with OKEN Scanner

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। तहसीलदार निम्बाहेड़ा की जांच रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। ग्राम मिण्डाना की साबिक आराजी नम्बर 40 रकबा 11–19 बीघा भूमि निर्मला देवी पत्नी नरेन्द्र कुमार टेलर एवं कमला देवी पत्नी चांदमल खटीक के नाम संयुक्त रूप से दर्ज रिकॉर्ड थी। जिसका खातेदार द्वारा आपसी सहमति से विभाजन करवाया गया एवं ग्राम मिण्डाना की साबिक नामान्तरण संख्या 665 दिनांक 15.12.2001 से विभाजन से आराजी नम्बर 40 रकबा 11–19 बीघा में से 5.11 बीघा श्रीमति निर्मला देवी एवं रकबा 6–08 बीघा भूमि श्रीमति कमला देवी के नाम दर्ज रिकॉर्ड हुई। पत्रावली में संलग्न बंटवारा पत्र पर अंकित नक्शा ट्रेस अनुसार आराजी नम्बर 40 में पश्चिमी दिशा की 6–08 बीघा भूमि श्रीमति कमला देवी के नाम एवं पूर्वी दिशा का रकबा 5–11 बीघा श्रीमति निर्मला देवी के हिस्से में आया था।

मिलान क्षेत्रफल अनुसार नवीन आराजी नम्बर 53 रकबा 1.41 हेक्टयर साबिक आराजी नम्बर 40 रकबा 5–11 बीघा से बनी होकर जमाबंदी सम्वत 2073–2076 की खाता संख्या 144 में निर्मलादेवी पत्नी नरेन्द्र कुमार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है एवम वर्तमान आराजी स. 53 / 1050 रकबा 1.62 हेक्टेयर मिलान क्षेत्रफल अनुसार साबिक आराजी नम्बर 40 रकबा 6.07 बीघा से बनी होकर वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2073–2076 की खाता संख्या 21 में श्रीमती कमला पत्नी चांदमल खटीक के नाम दर्ज रिकार्ड हैं । साबिक आराजी नम्बर 40 के बंटवारे में कमला देवी का रकबा 6–08 बीघा भूमि पश्चिम दिशा में एंव रकबा 5–11 बीघा निर्मलादेवी का हिस्सा पूर्वी दिशा में हिस्से में आया था । किन्तु वर्तमान आराजी नम्बर 53 जो कि निर्मलादेवी के नाम दर्ज हैं जो पश्चिम दिशा में अंकित कर दी हैं एंव आराजी नम्बर 53/1050 जो कि कमलादेवी के नाम दर्ज रिकार्ड हैं उसे पूर्वी दिशा में अंकित कर दी गयी । इसी प्रकार साबिक आराजी नम्बर 966/40 रकबा 1–15 बीघा भूमि शंकरलाल पिता भैरूलाल के नाम जमाबंदी सम्वत् 2065–2068 की खाता संख्या 207 में दर्ज रिकॉर्ड बनी । मिलान क्षेत्रफल अनुसार उक्त साबिक आराजी के नवीन आराजी नम्बर 66 रकबा 0.44 हेक्टयर बनी होकर वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 की खाता सख्या 291 में दर्ज रिकार्ड हैं जो साबिक रिकॉर्ड अनुसार पूर्व से पश्चिम की ओर लम्बाई में तरमीम थी किन्तु हाल आराजी नम्बर 66 उत्तर से दक्षिण लम्बाई में तरमीम कर दी गयी हैं । अतः हाल आराजी नम्बर 53, 53/1050 , 66 एंवम् 65 साबिक रिकॉर्ड से साबिक होने के कारण नवीन रिकॉर्ड में भी इन नवीन आराजियात साबिक रिकॉर्ड अनुसार शुद्धी किया जाना उचित प्रतीत होता हैं ।

आदेश

अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 पूर्व रेकार्ड से सावित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। ग्राम मिण्डाना पटवार हल्का मिण्डाना तहसील निम्बाहेडा की हाल आराजी नम्बर 53 रकबा 1.41 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 53/1050 रकबा 1.62 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 65 रकबा 0.13 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 66 रकबा 0.4[illegible] [illegible]अनुसार राजस्व रेकार्ड में [illegible] विहारीलालजी जाति सुथार दर्ज किए जाने एवं विप[illegible] नं० 3 श्रीमति[illegible] क प[illegible] [illegible] चित्तौडगढ राज० का नाम आयु वयस्क निवासी [illegible] निम्बाहेडा [illegible] रेकार्ड इन्द्राज दुरुस्ती के हटाया जाकर, कब्जे अनुसार नवीन जमा[illegible] आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में आदेश प्रदान किए जाते है तहसीलदार निम्[illegible] प्रस्तावित नजरी नक्शा आदेश का अमल दरामद करावे। तहसीलदार निम्बाहेडा प्रस्तावित नजरी नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 13:08:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा
निर्मला बनाम कमला वगैरह
GCMS No- 2019/00215
प्रकरण संख्या 58/2019

1. श्री निर्मला देवी पत्नी नरेन्द्र कुमार टेलर (टेलर) सा. बिनोता खातेदार रहन बदस्तुर

आराजी नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
53/1050 उत्तर	1.25	चाही 3	23.75
66 उत्तर	0.16	चाही 3	3.04
65 उत्तर	0.12	चाही 3	2.28
किता 3	कुल – 1.53	–	कुल– 29.07

2. श्री शंकरलाल पिता भेरूलाल खटीक सा. देह

आराजी नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
66 दक्षिण	0.26	चाही 3	4.94
53/1050 दक्षिण पूर्व	0.18	चाही 3	3.42
किता 2	कुल – 0.44	–	कुल – 8.36

3. श्री कमला पत्नि चांदमल खटीक सा. देह खातेदार रहन बदस्तुर

आराजी नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
53	1.41	चाही 3	26.79
53/1050 मध्य	0.08	चाही 3	1.52
66 मध्य	0.02	चाही 3	0.38
53/1050 पश्चिम	0.11	चाही 3	2.09
65 दक्षिण	0.01	चाही 3	0.19
किता 5	कुल – 1.63		कुल – 30.97

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा जिला: चित्तौड़गढ़

निर्णय आज दिनांक 20.06.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखील दफ्तर हो।

20/6/23

(रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:08:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner